

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटोरी

पत्रांक.....२६.२.

पटोरी, दिनांक.....११/६/२०२१

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल पटोरी।

सेवा में,

काली कंस्ट्रक्शन,
संवेदक,

विषय:-

पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

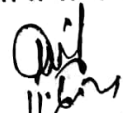
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पीएमजीएसवाई योजनांतर्गत 1. एमडीआर टी 02 से रूपौली चौसीवा एवं 2. एस.एच. टी 01 से विशनपुर पहाड़पुर पथ का अनुरक्षण कार्य आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। पथ की हालत खराब है।

विदित हो कि बाढ़/बरसात के पूर्व पथों की मरम्मती कार्य को पूर्ण करने को लेकर विभाग सख्त है तथा विभागीय निर्देशानुसार हर हाल में 15 जून 2021 तक अनुरक्षणाधीन सभी पथों का मरम्मती कार्य पूर्ण करवा लेना है। कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का विभागीय निर्देश प्राप्त है।

अतः निदेशित किया जाता है कि प्रत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर अनुरक्षण कार्य पूर्ण करें अन्यथा लापरवाही बरतने पर आपके विरुद्ध एसबीडी/एमबीडी की सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्य को रिसाइंड कर आपके द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि जब्त करते हुए काली सूची में डालने हेतु विभाग से अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे अंतिम स्मार समझते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता दें अन्यथा विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल पटोरी